



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265576
CG-DL-E-21082025-265576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947

No. 577]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

विधिक शिक्षा केंद्रों के संबंध में विधिक शिक्षा नियम—स्थगन (तीन वर्षीय स्थगन), 2025 उद्देश्यों और कारणों का विवरण

बीसीआई:डी: 5737 / 2025.— अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद् का धारा 7(1)(एच) और 7(1)(आई) के तहत वैधानिक कर्तव्य है कि वह कानूनी शिक्षा को बढ़ावा दे तथा विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिलों के परामर्श से ऐसी शिक्षा के मानकों को निर्धारित रखे। बीसीआई पर कानूनी पेशे की गरिमा और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने तथा न्याय प्रशासन में सार्वजनिक हित की रक्षा करने का भी दायित्व है।

पिछले दशक में, बीसीआई ने भारत भर में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में चिंताजनक और निरंतर गिरावट की पहचान की है और इसका व्यापक दस्तावेजीकरण किया है। यह गिरावट घटिया स्तर के विधि महाविद्यालयों और विधि शिक्षा केन्द्रों (सीएलई) की अनियंत्रित और तेजी से बढ़ती हुई वृद्धि से चिह्नित है, जो प्रायः उचित बुनियादी ढांचे, पर्याप्त संकाय या शैक्षणिक कठोरता के बिना स्थापित किये जाते हैं।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् की भूमिका अनुमोदन प्रक्रिया के तीसरे चरण में ही शामिल होती है। प्रारंभ में, प्रस्तावित कॉलेज/संस्थान अर्थात् विधिक शिक्षा केंद्र को ऐसी संस्था स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय या संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होता है। इसके बाद, संबद्ध विश्वविद्यालय अपने स्वयं के उचित निरीक्षण करने के बाद संबद्धता प्रदान करता है, तथा बीसीआई विधि शिक्षा नियम, 2008 के अध्याय III के नियम 16 और नियम 17, तथा अध्याय II के नियम 11 के तहत निर्धारित अवसंरचनात्मक, शैक्षणिक और संकाय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इन प्रावधानों के अनुसार, आवेदक संस्थान के पास संबद्धता से पहले पर्याप्त भूमि, बुनियादी ढांचा, योग्य संकाय, पुस्तकालय और अन्य आवश्यक

सुविधाएं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी संबद्धता प्रदान करने के बाद ही संस्थान संबद्धता की स्वीकृति पर विचार करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् को आवेदन कर सकता है। विश्वविद्यालयों और उनके घटक विभागों या महाविद्यालयों के मामले में, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित स्थापना स्वयं राज्य से प्राप्त एक मान्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के रूप में कार्य करती है, और निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य है। इसके बाद, बीसीआई विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबद्धता की स्वीकृति देने से पहले अपना स्वतंत्र निरीक्षण करता है, जिससे बहुस्तरीय और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित होता है।

विधि शिक्षा केन्द्रों की बढ़ती संख्या का एक प्रमुख कारण राज्य सरकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का नियमित और अंधाधुंध जारी किया जाना तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धताएं प्रदान करना है, जो प्रायः बिना किसी सार्थक निरीक्षण या वास्तविक सामाजिक या क्षेत्रीय आवश्यकता के आकलन के होता है। परिणामस्वरूप, कानूनी शिक्षा का तेजी से व्यवसायीकरण और वस्तुकरण हो गया है, जिससे इसका महत्वपूर्ण सार्वजनिक चरित्र खतरे में पड़ गया है।

बीसीआई ने 11 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया (संकल्प मद संख्या 241/2019) था, जिसमें नये विधि शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और नए अनुभागों या पाठ्यक्रमों की शुरुआत पर तीन साल की रोक लगा दी गई। यह कार्रवाई 2016 में इसी तरह के प्रयासों के बाद की गई थी, जब बीसीआई ने राज्य सरकारों से स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था कि वे अनापत्ति पत्र (एनओसी) जारी न करें और विश्वविद्यालयों से कम से कम दो वर्षों तक नए लॉ कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने से बचने का आग्रह किया गया था। हालाँकि, इन बार-बार की गई अपीलों और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, राज्य सरकारों द्वारा 300 से ज्यादा अनापत्ति पत्र (एनओसी) जारी किए गए और विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धताएं प्रदान की गईं, जो मानकों में सुधार की तत्काल आवश्यकता की घोर उपेक्षा दर्शाता है।

बीसीआई ने योग्य विधि शिक्षकों की भारी कमी को भी चिन्हित किया है, तथा 60 प्रतिशत से अधिक सरकारी विधि महाविद्यालयों में 40 से 50 प्रतिशत से अधिक संकाय पद रिक्त हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा लगातार याद दिलाने तथा औपचारिक आश्वासन देने के बावजूद यह स्थिति बनी हुई है। संकाय की नियुक्ति में प्रणालीगत विफलता, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के व्यापक, कदाचार प्रयोग और तीव्र अवसंरचनात्मक कमियों (अपर्याप्त पुस्तकालयों, मूट कोर्ट और अनुसंधान सुविधाओं सहित) के कारण, शैक्षणिक अखंडता और विधि स्नातकों की गुणवत्ता दोनों पर गंभीर असर पड़ा है।

बीसीआई द्वारा 11 अगस्त 2019 को लगाए गए स्थगन को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 18941/2020 में चुनौती दी गई थी, और 4 दिसंबर 2020 के अपने फैसले में, माननीय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर स्थगन को रद्द कर दिया कि इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन किया और कहा कि इस तरह के नियामक उपायों को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 10(2)(बी) के तहत बीसीआई के कानूनी शिक्षा समिति द्वारा तैयार औपचारिक नियमों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। बीसीआई ने शुरू में इस फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) दायर की थी, लेकिन बाद में अदालत के निर्देशों के अनुरूप व्यापक वैधानिक नियम बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इसे वापस लेने का संकल्प लिया।

इसके बाद, बीसीआई ने 16 जून 2021 को एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने के खिलाफ अपना दृढ़ रुख दोहराया गया। परिषद ने संस्थानों के अंधाधुंध विस्तार को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, परिषद ने राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र और संबद्धता प्रदान करने से पहले कड़ी जांच की मांग की, तथा निरंतर अनुपालन न करने की स्थिति में डिग्री की मान्यता रद्द होने की संभावना के बारे में चेतावनी दी। परिषद ने एक निश्चित समय-सीमा के भीतर रिक्त संकाय पदों को भरने के महत्व को भी रेखांकित किया तथा समय-समय पर औचक निरीक्षण और अनुपालन लेखा परीक्षण के साथ-साथ कौशल विकास और संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

वर्तमान में, भारत में लगभग 2000 विधिक शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं, तथा बीसीआई को दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान संस्थागत क्षमता कानूनी प्रणाली की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। परिषद के विचार से आगे विस्तार के बजाय, जनता के विश्वास की रक्षा करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए समेकन, गुणवत्ता में वृद्धि और प्रणालीगत सुदृढीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है।

सामाजिक न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 15(5), 21 और 46 के तहत दायित्वों सहित अपनी वैधानिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में, बीसीआई का मानना है कि निर्णायक और तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। सक्षम अधिवक्ताओं को पेशे में सुनिश्चित करने और न्याय वितरण प्रणाली की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कानूनी शिक्षा संस्थानों का समेकन और सख्त विनियमन आवश्यक है।

तदनुसार, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7, 7(1)(एच), 7(1)(I), 24(1)(सी)(III), और 49(1)(एएफ), (एजी), और (डी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपने पिछले प्रस्तावों, न्यायिक निर्देशों और नीतिगत अनुभवों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, भारतीय विधिज्ञ परिषद् अब इस विनियमन को तैयार करता है, जिसमें कानूनी शिक्षा के नए केंद्रों की स्थापना पर तीन साल की रोक लगाई जाती है, जिसमें समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए गए अपवाद शामिल हैं।

यह विनियमन कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बहाल करने और बढ़ाने, कानून के छात्रों और जनता के हितों की रक्षा करने और भारत में कानूनी पेशे की निरंतर अखंडता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए बीसीआई की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अध्याय I संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और परिभाषाएँ

नियम 1:— संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

इस विनियमन को विधिक शिक्षा केंद्रों के संबंध में विधिक शिक्षा-स्थगन नियम (तीन वर्षीय स्थगन), 2025 कहा जाएगा। यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा और तीन वर्षों की निरंतर अवधि के लिए लागू रहेगा।

नियम 2:— परिभाषाएँ

इन नियमों में विधिक शिक्षा केन्द्र (सीएलई) का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग, घटक महाविद्यालय, संस्था, विधि विद्यालय या विधि महाविद्यालय से है जो विधिक शिक्षा प्रदान करता है, चाहे वह पहले से ही भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित हो या ऐसा अनुमोदन चाह रहा हो।

अधिस्थगन अवधि इस विनियमन की प्रभावी तिथि से शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि को दर्शाती है। अनुमोदन का अर्थ है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बीसीआई विधि शिक्षा नियम, 2008 के तहत बीसीआई द्वारा दी गई अंतिम या प्रावधिक अनुमोदन।

अध्याय II निषेध का दायरा और सीमा

नियम 3:— नए की स्थापना पर प्रतिबंध

भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिसूचित या घोषित अधिस्थगन अवधि के दौरान, भारत में कहीं भी कोई नया विधि शिक्षा केंद्र स्थापित या स्वीकृत नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार की संस्थाएँ और अन्य संस्थान नए विधि शिक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए बीसीआई को प्रस्ताव या आवेदन सामान्य रूप से प्रस्तुत या अग्रेषित नहीं कर सकेंगे।

हालाँकि, बीसीआई के समक्ष लंबित सभी आवेदन, जिन्हें प्रारंभ तिथि से पहले अंतिम अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, प्रभावित नहीं होंगे तथा उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

नियम 4:— नए सेक्शन या पाठ्यक्रम प्रदान करने पर प्रतिबंध

कोई भी मौजूदा विधि शिक्षा केन्द्र बीसीआई की पूर्व लिखित और स्पष्ट स्वीकृति के बिना कोई नया सेक्शन, पाठ्यक्रम या बैच शुरू नहीं करेगा। स्थगन अवधि के दौरान नए सेक्शन या पाठ्यक्रमों के लिए आवेदनों की कड़ी जाँच की जाएगी और केवल विशेष या असाधारण परिस्थितियों में ही उन पर विचार किया जाएगा जहाँ विधि शिक्षा केन्द्र बीसीआई विधि शिक्षा नियम, 2008 के अनुसार सभी अवसंरचनात्मक, शैक्षणिक और संकाय मानकों का पूर्ण अनुपालन प्रदर्शित करता है, जिसमें आवश्यकता-आधारित स्थापना से संबंधित नियम 23 के अंतर्गत आवश्यक शर्तें भी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान दिए गए सभी अनुमोदन आवधिक समीक्षा और अनुपालन लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अध्याय III वैधानिक आधार और तर्क

नियम 5:— कानूनी प्राधिकार

यह विनियमन अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7, 7(1)(एच), 7(1)(आई), 24(1)(सी)(पपप), और 49(1)(एएफ), (एजी), और (डी) के तहत जारी किया गया है।

नियम 6:— तर्क

यह विनियमन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है:—

- (क) वास्तविक सार्वजनिक आवश्यकता या शैक्षणिक औचित्य के बिना विधि शिक्षा केंद्रों की अनियंत्रित और अनुचित वृद्धि।
- (ख) विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक, अवसंरचनात्मक और संकाय मानकों का पालन सुनिश्चित करने में लगातार लापरवाही।
- (ग) न्यून गुणवत्ता घटिया या न के बराबर कक्षाओं का प्रमाण और अनुचित साधनों (कदाचार) का व्यापक प्रयोग, जिससे शैक्षणिक विश्वसनीयता खतरे में पड़ रही हो।
- (घ) योग्य संकाय की भारी कमी, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित हो रही हो और व्यावसायिक क्षमता कमजोर हो रही हो।
- (ङ) कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री के व्यावसायीकरण और बिक्री के प्रलेखित उदाहरण और
- (च) बीसीआई विधि शिक्षा नियम, 2008 के अध्याय III— नियम 23 के साथ सुसंगत असंगतता, जो विधि शिक्षा केन्द्र की सख्त आवश्यकता—आधारित स्थापना को अनिवार्य करता है।

अध्याय IV अनुमोदन प्रक्रिया और अनुपालन**नियम 7:— तीन—चरणीय अनुमोदन प्रक्रिया**

नए विधिक शिक्षा केंद्र की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में एक अनिवार्य और कठोर तीन—चरणीय प्रक्रिया शामिल है, जिसे वैधानिक मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और विधिक शिक्षा की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है।

प्रथम चरण में, प्रायोजक निकाय या आवेदक संस्थान को राज्य सरकार या संबंधित शिक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। यह एनओसी किसी विशेष क्षेत्र में नए सीएलई (विधि शिक्षण संस्थान) की वास्तविक आवश्यकता और मांग के पूर्ण और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद ही प्रदान की जाएगी, जिसमें विधि महाविद्यालयों की मौजूदा संख्या, छात्र जनसंख्या, क्षेत्रीय पहुंच और कानूनी शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने की आवश्यकता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। राज्य सरकार को यांत्रिक या नियमित रूप से एनओसी जारी करने से बचना चाहिए, तथा अनुभवजन्य आंकड़ों द्वारा समर्थित आवश्यकता आधारित अध्ययन करना चाहिए।

दूसरे चरण में, संबद्ध विश्वविद्यालय को शैक्षणिक मानकों की सुरक्षा तथा भावी विधि छात्रों के हितों की रक्षा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जैसा कि विधि शिक्षा नियम, 2008 के अध्याय III, नियम 16 के तहत अनिवार्य है, विश्वविद्यालय को संबद्धता पर निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक संगठन (संस्थान) विधि शिक्षा केन्द्र चलाने का प्रस्ताव कर रहा है

(क) एक गैर—लाभकारी संस्था है, जैसे कि ट्रस्ट, सोसाइटी या गैर—लाभकारी कंपनी, और इस प्रकार कार्य करने के लिए सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं।

(ख) उसके नाम पर पर्याप्त भूमि और भवन (फ्रीहोल्ड या कम से कम दस वर्षों के लिए लीजहोल्ड) हैं जो सीएलई सुविधाएँ स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं, जिनमें एक समर्पित शैक्षणिक भवन, पुस्तकालय, पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग—अलग आवास कक्ष, खेल सुविधाएँ, और व्यावसायिक विधि पाठ्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचा शामिल है।

(ग) पहले से ही पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक और विजिटिंग संकाय (Visiting Faculty) सदस्यों की भर्ती की गई है, या भर्ती के लिए विश्वसनीय कदम उठाए गए हैं, प्रत्येक संकाय सदस्य के पास यूजीसी नियमों और बीसीआई मानकों के तहत आवश्यक संबंधित विषय में कम से कम मास्टर डिग्री है।

(घ) यूजीसी और बीसीआई मानदंडों के अनुरूप, विधि के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के योग्य, योग्य प्राचार्य या डीन के नेतृत्व में एक अलग विधि संकाय है।

(ड) कानूनी शिक्षा नियम, 2008 के अध्याय II, नियम 11 और अनुसूची III में निर्धारित अनुसार, पर्याप्त संख्या में पुस्तकों, पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों, पढ़ने की सुविधाओं और योग्य पुस्तकालयाध्यक्षों के साथ एक पर्याप्त पुस्तकालय बनाए रखता है।

(च) जहां भी लागू हो, राज्य सरकार से वैध एनओसी सहित सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं

(छ) वित्तीय स्थिरता और बुनियादी ढांचे के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची III में निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम पूंजी निधि स्थापित और जमा की गई है, और

(ज) विश्वविद्यालय के अपने संबद्धता विनियमों के साथ-साथ बीसीआई कानूनी शिक्षा नियमों के तहत निर्धारित अन्य सभी विशिष्ट शर्तों का अनुपालन किया है।

इसके अलावा, अध्याय III के नियम 17 के तहत, जब कोई विश्वविद्यालय स्वयं एक पेशेवर कानून डिग्री कार्यक्रम चलाने के लिए एक विधि संकाय, विभाग या घटक कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे पहले बीसीआई द्वारा निर्धारित सभी न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और निरीक्षण के लिए एक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय को बुनियादी ढांचे, संकाय नियुक्तियों, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों, नैदानिक कानूनी शिक्षा घटकों (जैसे कानूनी सहायता क्लीनिक और मूट कोर्ट) और छात्र सहायता सेवाओं के विवरण को कवर करने वाले व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन बीसीआई द्वारा प्रतिवर्ष अधिसूचित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा निरीक्षण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी सहायक दस्तावेज भी इसके साथ संलग्न किए जाने चाहिए।

विधि शिक्षा नियम, 2008 के अध्याय II, नियम 11, अनुसूची 2 में वर्णित न्यूनतम अवसंरचनात्मक मानकों को बनाए रखने के विश्वविद्यालय के वैधानिक दायित्व को और सुदृढ़ करता है। इसमें भौतिक अवसंरचना, पुस्तकालय संसाधन, मूट कोर्ट और नैदानिक शिक्षा सुविधाएँ, प्रयोगशालाएँ (विज्ञान या तकनीकी घटकों वाले एकीकृत कार्यक्रमों के मामले में), और आवश्यक तकनीकी संसाधनों से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताएँ शामिल हैं। विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये मानक उसके सभी संबद्ध या घटक विधि शिक्षा केन्द्र में समान रूप से बनाए रखे जाएँ।

तीसरे और अंतिम चरण में भारतीय बार परिषद द्वारा निरीक्षण और अनुमोदन शामिल है। पहले दो चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही विधि शिक्षा केन्द्र बीसीआई निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद, बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बीसीआई विधि शिक्षा नियम, 2008 के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी अवसंरचनात्मक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं का विस्तृत सत्यापन करता है। बीसीआई की निरीक्षण टीम को सभी प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच करने, सुविधाओं का निरीक्षण करने, संकाय, छात्रों और प्रशासनिक कर्मियों का साक्षात्कार लेने और निर्धारित मानकों के अनुपालन का आकलन करने का अधिकार है।

अधिस्थगन अवधि के दौरान, उपरोक्त अनुमोदन प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद बीसीआई के समक्ष लंबित सभी आवेदनों को छूट दी जाएगी और वे अनुमोदन के लिए विचार हेतु पात्र होंगे। संबद्धता प्रदान करने से पहले, संबद्धता के लिए प्रस्तावित प्रत्येक विधि शिक्षा केन्द्र प्रस्ताव का कठोरता से निरीक्षण करने का दायित्व पूरी तरह से विश्वविद्यालय पर है, जो विधि शिक्षा केन्द्र के लिए बीसीआई के अनुमोदन के लिए बीसीआई को आवेदन करने का आधार बन जाता है। विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है कि वे न केवल वैधानिक शर्तों का पालन करें, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी पूरी तत्परता और विवेक का प्रयोग करें कि किसी भी न्यून स्तरिय या न्यून गुणवत्त घटिया या अपर्याप्त रूप से तैयार विधि शिक्षा केन्द्र को संबद्धता प्रदान न की जाए, जिससे विधि शिक्षा की अखंडता की रक्षा हो और छात्रों तथा न्याय वितरण प्रणाली के हितों की रक्षा हो। अध्याय III, नियम 16 (2) के अनुसार, कोई विधि शिक्षा केन्द्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान किए जाने के बाद ही बीसीआई में आवेदन कर सकता है।

इसके बाद, निरीक्षण रिपोर्ट के साथ आवेदन पर कानूनी शिक्षा पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और अन्य प्रख्यात शिक्षाविद करते हैं, जिनमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति और बीसीआई के कुछ सदस्य शामिल होते हैं, जिसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि विधि शिक्षा केन्द्र को अनुमोदित किया जाए या नहीं, और/या इसे सीमित अवधि के लिए सशर्त अनुमोदित किया जाए, बशर्त कि उक्त नियमों की अनुसूची III सहित कानूनी शिक्षा के नियमों के अनुसार न्यूनतम भौतिक और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाए।

नियम 8:— उन्नत निगरानी और अनुपालन

निर्धारित मानकों के निरंतर पालन की पुष्टि के लिए मौजूदा विधि शिक्षा केन्द्र का गहन निरीक्षण और व्यापक अनुपालन ऑडिट किया जाएगा। बीसीआई इन मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले किसी भी विधि शिक्षा केन्द्र को बंद करने या उसकी मान्यता रद्द करने का निर्देश दे सकता है। विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे स्थगन अवधि

के दौरान नए विधि शिक्षा केन्द्र या नए पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र या संबद्धता प्रदान या अनुशंसित न करें और उनसे इस विनियमन के उद्देश्यों को बनाए रखने में बीसीआई के साथ पूर्ण सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है।

अध्याय V अपवाद और संक्रमणकालीन प्रावधान

नियम 9:— अपवाद

स्थगन अवधि के दौरान कुछ अपवादों पर विचार किया जा सकता है, जो कठोर शर्तों के अधीन और बीसीआई के पूर्ण विवेक पर निर्भर होंगे; इनमें शामिल हैं।

(क) विधि शिक्षा केन्द्र जिन्हें इन नियमों के लागू होने से पहले अंतिम और बिना शर्त बीसीआई अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जो अनुपालन जांच के अधीन, चालू रहेंगे।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए विशेष रूप से नए वर्गों या पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव, बशर्ते कि इन श्रेणियों की सेवा करने के लिए उनके पास एक स्पष्ट और प्रदर्शित उद्देश्य हो, पर्याप्त बुनियादी ढांचा और योग्य संकाय हो, संवैधानिक और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक वैध आरक्षण और प्रवेश नीति का पालन किया गया हो, और राज्य और केंद्रीय अधिकारियों के परामर्श से बीसीआई से अलग और विशेष अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(ग) नीति आयोग या जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दूरस्थ, जनजातीय या आकांक्षी जिलों में स्थित नए अनुभागों या पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्ताव, बशर्ते कि वे नियम 23 के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हों और संबंधित राज्य सरकार से स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त करते हों।

(घ) दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, और आवश्यक समावेशी बुनियादी ढाँचे और शिक्षण पद्धति से सुसज्जित।

और

(ङ) किसी राज्य विधानसभा या संसद के अधिनियम द्वारा सृजित राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव, या विधि एवं न्याय मंत्रालय, राज्य या केंद्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अनुशंसित, या ऐसे मामलों में जहाँ बीसीआई, कुछ विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और विधि शिक्षा और जन कल्याण के व्यापक हित में, इसे आवश्यक और समीचीन समझे।

इन अपवादों के अंतर्गत आने वाले सभी प्रस्तावों को अंतिम विचार के लिए बीसीआई के पास जाने से पहले वैध एनओसी और विश्वविद्यालय की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

नियम 10:— संक्रमणकालीन उपाय

इन नियमों के लागू होने से पहले केवल सशर्त अनुमोदन प्राप्त करने वाले विधि शिक्षा केन्द्र, स्थगन अवधि के दौरान तब तक संचालन शुरू नहीं करेंगे जब तक कि वे विधि शिक्षा नियमों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। ऐसे विधि शिक्षा केन्द्र को छात्रों को प्रवेश देने या शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू करने से पहले भारतीय विधिज्ञ परिषद् से स्पष्ट अनुमति प्राप्त करनी होगी।

अध्याय VI प्रवर्तन और प्रतिबंध

नियम 11:— उल्लंघन के परिणाम

इस विनियमन का कोई भी उल्लंघन सख्त प्रवर्तन उपायों को आकर्षित करेगा, जिसमें शामिल हैं:

(क) बीसीआई अनुमोदन या मान्यता वापस लेना,

(ख) इन नियमों के उल्लंघन में प्रदान की गई डिग्रियों की मान्यता रद्द करना,

(ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत नामांकन के लिए ऐसे संस्थानों से स्नातकों की अयोग्यता, और

(घ) उल्लंघन करने वाले सी.एल.ई. (विधि शिक्षण संस्थान), विश्वविद्यालयों और संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक, सिविल और आपराधिक कार्यवाही शुरू करना।

अध्याय VII समीक्षा और संशोधन

नियम 12:— आवधिक समीक्षा

बीसीआई इन नियमों के संचालन और प्रभाव की वार्षिक समीक्षा करेगा और बदलती परिस्थितियों और नीतिगत विचारों के आधार पर, कानूनी शिक्षा मानकों में सुधार और सुरक्षा के हित में आवश्यकतानुसार इन्हें विस्तारित, संशोधित या निरस्त कर सकता है।

अध्याय VIII अधिभावी खंड

नियम 13:— अधिक्रमण

यह विनियमन बीसीआई या विधिक शिक्षा से संबंधित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी विरोधाभासी संकल्प, परिपत्र, अधिसूचना या पूर्व निर्णय को रद्द कर देगा।

अध्याय IX नीति घोषणा

नियम 14:— आशय की घोषणा

बीसीआई पुष्टि करता है कि यह विनियमन कानूनी शिक्षा के मानकों को बढ़ाने और संरक्षित करने, कानूनी पेशे की गरिमा को बनाए रखने और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जबकि सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 46 के तहत संवैधानिक जनादेश के साथ समावेशिता और अनुपालन सुनिश्चित करना है।

श्रीमंतो सेन, प्रधान सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./310/2025-26]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

Rules of Legal Education-Moratorium (Three-Year Moratorium) with respect to Centers of Legal Education, 2025 Statement of Objects and Reasons

No. BCI:D: 5737/2025.—The Bar Council of India, constituted under Section 4 of the Advocates Act, 1961, has the statutory duty under Sections 7(1)(h) and 7(1)(i) to promote legal education and to lay down and maintain standards of such education in consultation with universities and State Bar Councils. The BCI is further charged with preserving the dignity and integrity of the legal profession and protecting public interest in the administration of justice.

Over the past decade, BCI has identified and extensively documented an alarming and continuous decline in the quality of legal education across India. This deterioration is marked by the unchecked and mushrooming growth of sub-standard law colleges and Centers of Legal Education (CLEs), often set up without proper infrastructure, adequate faculty, or academic rigor.

The Bar Council of India comes into the picture only at the third stage of the approval process. Initially, a proposed College/Institution i.e. Centre of Legal Education must obtain a No Objection Certificate (NOC) from the Ministry of Education or relevant department of the concerned State Government to establish such an institution. Subsequently, the affiliating University grants affiliation after conducting its own due inspections, ensuring compliance with infrastructural, academic, and faculty standards as laid down under Rule 16 and Rule 17 of Chapter III, and Rule 11 of Chapter II of the Rules of Legal Education, 2008. These provisions require that the applicant institution has adequate land, infrastructure, qualified faculty, libraries, and other necessary facilities before affiliation. Only after the University grants such affiliation can the institution approach the Bar Council of India to consider granting approval of affiliation. In the case of

universities and their constituent departments or colleges, the establishment by an Act of State Legislature itself acts as a deemed NOC from the State, and it remains the University's duty to ensure compliance with minimum standards as stipulated. Thereafter, BCI conducts its independent inspection before granting approval of affiliation granted by the University, ensuring a multi-layered and rigorous quality control mechanism.

A principal cause from mushrooming of Centers of Legal Education has been the routine and indiscriminate issuance of No Objection Certificates (NOCs) by State Governments and the mechanical grant of affiliations by universities, frequently without meaningful inspection or any assessment of genuine societal or regional need. As a result, legal education has increasingly become commercialized and commodified, endangering its vital public character.

BCI passed a landmark resolution on 11th August 2019 (Resolution Item No. 241/2019), imposing a three-year moratorium on the establishment of new CLEs and the introduction of new sections or courses. This action followed similar efforts in 2016, when BCI explicitly requested State Governments not to issue NOCs and urged universities to avoid granting affiliations to new law colleges for at least two years. However, despite these repeated appeals and clear directives, more than 300 NOCs were issued by State Governments and affiliations granted by universities, showing blatant disregard for the urgent need to improve standards.

BCI has also documented a severe shortage of qualified law teachers, with more than 40 to 50% faculty positions remaining vacant in over 60% of government law colleges. This situation has persisted despite continuous reminders and even formal undertakings from certain State Governments. The systemic failure to appoint faculty, combined with widespread use of unfair means in examinations and acute infrastructural deficiencies (including inadequate libraries, moot courts, and research facilities), has severely compromised both academic integrity and the quality of law graduates.

The moratorium imposed by BCI on 11th August 2019 was challenged before the Punjab and Haryana High Court in Civil Writ Petition No. 18941 of 2020, and by its judgment dated 4th December 2020, the Hon'ble High Court set aside the moratorium on the ground that it violated Article 19(1)(g) of the Constitution of India and observed that such regulatory measures must be enacted through formal rules framed by the Legal Education Committee under Section 10(2)(b) of the Advocates Act, 1961. BCI initially filed a Letters Patent Appeal (LPA) against this judgment but subsequently resolved to withdraw it, recognizing the need to frame comprehensive statutory regulations in line with the Court's directions.

Following this, BCI issued a detailed Press Release on 16th June 2021, reiterating its firm stance against compromising the quality of legal education. The Council emphasized the urgent need to halt indiscriminate expansion, demanded strict diligence from State Governments and universities before granting NOCs and affiliations, and warned of the possibility of derecognition of degrees in case of continued non compliance. The Council also underlined the importance of filling vacant faculty positions within a specified timeframe and committed to introducing skill development and faculty training programs, along with periodic surprise inspections and compliance audits.

At present, with around 2000 CLEs operating in India, BCI firmly believes that the current institutional capacity is more than adequate to meet the professional needs of the legal system. Rather than further expansion, there is a pressing need for consolidation, quality enhancement, and systemic strengthening to protect public trust and uphold the rule of law.

In fulfilling its statutory and constitutional responsibilities, including obligations under Articles 14, 15(4), 15(5), 21, and 46 of the Constitution of India to promote social justice and equitable access to quality education, BCI is convinced that decisive and immediate action is necessary. The consolidation and strict regulation of legal education institutions are essential to ensure competent legal professionals and to preserve the sanctity of the justice delivery system.

Accordingly, in exercise of its powers under Sections 7, 7(1)(h), 7(1)(i), 24(1)(c)(iii), and 49(1)(af), (ag), and (d) of the Advocates Act, 1961, and after careful consideration of its past resolutions, judicial directions, and policy experiences, the Bar Council of India now frames this Regulation imposing a three year moratorium

on the establishment of new Centers of Legal Education and on the grant of new sections or courses, with carefully crafted exceptions to promote inclusivity and social justice.

This Regulation manifests BCI's resolute commitment to restoring and enhancing the quality and credibility of legal education, protecting the interests of law students and the public, and ensuring the continued integrity and dignity of the legal profession in India.

Chapter I Short Title, Commencement, and Definitions

Rule 1:- Short Title and Commencement

This Regulation shall be called the **Rules of Legal Education-Moratorium (Three-Year Moratorium) with respect to Centers of Legal Education, 2025**. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette and shall remain in force for a continuous period of three years.

Rule 2:- Definitions

In these Rules, a Center of Legal Education (CLE) means any university, university department, constituent college, institution, law school, or law college offering legal education, whether already recognized or approved by the Bar Council of India or seeking such approval.

The Moratorium Period denotes the three year period beginning from the effective date of this Regulation. Approval means final or provisional approval granted by the BCI under the Advocates Act, 1961, and the BCI Legal Education Rules, 2008.

Chapter II Scope and Extent of Prohibition

Rule 3:- Prohibition on Establishing New CLEs

During the Moratorium Period, notified or declared by Bar Council of India, no new Center of Legal Education shall be established or granted approval anywhere in India. Universities, State Governments, Central Government entities, and other institutions shall not submit or forward proposals or applications to the BCI for the establishment of new CLEs.

However, all pending applications before BCI that have not received final approval before the date of commencement shall not be affected and shall be processed in accordance to law.

Rule 4:- Prohibition on Granting New Sections or Courses

No existing CLE shall introduce any new section, course, or batch without the prior written and express approval of BCI. Applications for new sections or courses during the Moratorium Period shall be strictly scrutinized and shall only be considered in exceptional circumstances where the CLE demonstrates full compliance with all infrastructural, academic, and faculty standards as per the BCI Legal Education Rules, 2008, including the requirements under Rule 23 concerning need-based establishment. All approvals granted during this period shall be subject to periodic review and compliance audits.

Chapter III Statutory Basis and Rationale

Rule 5:- Legal Authority

This Regulation is issued under Sections 7, 7(1)(h), 7(1)(i), 24(1)(c)(iii), and 49(1)(af), (ag), and (d) of the Advocates Act, 1961 of the Advocates Act, 1961

Rule 6:- Rationale

The Regulation is necessitated by the following reasons:-

- (a) uncontrolled and unjustified mushrooming of Centers of Legal Education without genuine public necessity or academic justification
- (b) persistent negligence by Universities and State Governments in ensuring adherence to minimum academic, infrastructural, and faculty standards
- (c) evidence of sub standard or non existent classes and widespread use of unfair means jeopardizing academic integrity
- (d) severe shortage of qualified faculty resulting in compromised teaching quality and dilution of professional competence
- (e) documented instances of commercialization and sale of degrees by certain universities and
- (f) consistent non consonance with Chapter III- Rule 23 of the BCI Legal Education Rules, 2008, which mandates strict need-based establishment of CLEs.

Chapter IV Approval Process and Compliance**Rule 7:- Three-Stage Approval Process**

The approval process for establishing a new Center of Legal Education involves a mandatory and rigorous three-stage procedure designed to ensure strict compliance with statutory standards and to safeguard the quality of legal education.

In the first stage, the sponsoring body or applicant institution must obtain a No Objection Certificate (NOC) from the State Government or the relevant Ministry of Education. This NOC is to be granted only after a thorough and objective assessment of the actual necessity and demand for a new CLE in the particular region, taking into account factors such as the existing number of law colleges, student population, regional accessibility, and the need to promote equitable access to legal education. The State Government must avoid issuing NOCs mechanically or routinely, and must conduct a needs based study supported by empirical data.

In the second stage, the affiliating University is vested with a critical responsibility to safeguard academic standards and protect the interests of future law students. As mandated under Chapter III, Rule 16 of the Legal Education Rules, 2008, the University must, before deciding on affiliation, ensure that the applicant organization proposing to run the CLE

- (a) is a non-profit entity, such as a trust, society, or non-profit company, and has completed all legal formalities to function as such
- (b) possesses, in its name, adequate land and buildings (either in freehold or leasehold for not less than ten years) sufficient to establish CLE facilities, including a dedicated academic building, library, separate halls of residence for male and female students, sports facilities, and other essential infrastructure required to effectively run professional law courses
- (c) has already recruited, or taken credible steps to recruit, a sufficient number of full-time and visiting faculty members, with each faculty member having at least a Master's degree in the respective subject as required under UGC rules and BCI standards
- (d) has a separate law faculty headed by a qualified Principal or Dean eligible to be appointed as a Professor of Law, in line with UGC and BCI norms

- (e) maintains an adequate library with a sufficient number of books, journals, and electronic resources, reading facilities, and qualified librarians, as stipulated in Chapter II, Rule 11 and Schedule III of the Legal Education Rules, 2008
- (f) has obtained all necessary statutory permissions, including a valid NOC from the State Government wherever applicable
- (g) has established and deposited the requisite minimum capital fund as prescribed in Schedule III to ensure financial stability and infrastructure maintenance; and
- (h) has complied with all other specific conditions laid down in the University's own affiliation regulations as well as under the BCI Legal Education Rules.

Furthermore, under Rule 17 of Chapter III, when a University itself proposes to start a law faculty, department, or constituent college to run a professional law degree program, it must first ensure compliance with all minimum standards prescribed by the BCI and submit a detailed application for inspection. The University must present comprehensive documentation covering infrastructure, faculty appointments, academic curriculum, teaching methodologies, clinical legal education components (such as legal aid clinics and moot courts), and details of student support services. The application must be submitted within the period notified annually by BCI and must be accompanied by all supporting documents to facilitate the inspection process.

Chapter II, Rule 11 of the Legal Education Rules, 2008, further reinforces the University's statutory obligation to maintain minimum infrastructural standards as detailed in Schedule III. This includes specific requirements regarding physical infrastructure, library resources, moot court and clinical education facilities, laboratories (in case of integrated programs with science or technical components), and necessary technological resources. The University must ensure that these standards are uniformly maintained across all its affiliated or constituent CLEs.

The third and final stage involves inspection and approval by the Bar Council of India. Only after successful completion of the first two stages can the CLE apply for BCI inspection. The BCI then conducts a detailed verification of all infrastructural, academic, administrative, and financial aspects to ensure conformity with the Advocates Act, 1961, and the BCI Legal Education Rules, 2008. The BCI's inspection team has the authority to examine all relevant records, inspect facilities, interview faculty, students, and administrative personnel, and assess compliance with prescribed standards.

During the Moratorium Period, all applications pending before BCI after complying with the above approval process shall be exempted and be eligible for consideration of approval. The onus lies squarely on the University to rigorously inspect each proposed CLE proposal for affiliation, before grant of affiliation, which becomes the basis for the CLE to apply to BCI for BCI consideration of approval. Universities are duty-bound not only to uphold the statutory conditions but also to exercise due diligence and judgment to ensure that no sub-standard or inadequately prepared CLE is granted affiliation thereby safeguarding the integrity of legal education and protecting the interests of students and the justice delivery system. A CLE as per Chapter III, Rule 16 (2) can apply to BCI only after grant of affiliation by the Concerned University.

Thereafter the application along with inspection report is considered by the Standing Committee on Legal Education chaired by a former Judge of High Court and other noted academicians, including Vice Chancellors of National Law Universities, and some Members of BCI, before a decision is arrived at whether to approve or decline to approve/recognise the CLE and/or whether to approve the same conditionally for a limited period subject to compliance with minimum physical and infrastructural requirements as per Rules of Legal Education including schedule III of the said Rules.

Rule 8:- Enhanced Monitoring and Compliance

Existing CLEs shall be subjected to intensified inspections and comprehensive compliance audits to verify continued adherence to prescribed standards. BCI may direct the closure or derecognition of any CLE failing

to meet these standards. Universities and State Governments are strongly advised not to grant or recommend NOCs or affiliations for new CLEs or new courses during the Moratorium Period and are expected to fully cooperate with BCI in upholding the objectives of this Regulation.

Chapter V Exceptions and Transitional Provisions

Rule 9:- Exceptions

Certain exceptions may be considered during the Moratorium Period, subject to stringent conditions and at the sole discretion of BCI. These include

- (a) CLEs that have received final and unconditional BCI approval prior to the commencement of these Rules, which shall remain operational, subject to compliance checks
 - (b) proposals for new sections or courses exclusively meant for students belonging to socially and educationally backward classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Economically Weaker Sections as recognized under Articles 15(4) and 15(5) of the Constitution, provided they have an explicit and demonstrated purpose to serve these categories, possess adequate infrastructure and qualified faculty, follow a valid reservation and admission policy compliant with constitutional and statutory requirements, and have obtained separate and rigorous approval from BCI in consultation with State and Central authorities
 - (c) proposals for new sections or courses located in remote, tribal, or aspirational districts as notified by NITI Aayog or the Ministry of Tribal Affairs, provided they satisfy all requirements under Rule 23 and receive express recommendation from the State Government concerned
 - (d) proposals for courses exclusively designed for persons with disabilities, compliant with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, and equipped with necessary inclusive infrastructure and pedagogy
- and
- (e) proposals of State or Central Universities created by an Act of any State Assembly or Parliament or specifically recommended in writing by the Ministry of Law and Justice, the Ministry of Education at the State or Central level, or in cases where BCI, after due consideration of some special facts and circumstances and in the larger interest of legal education and public welfare, deems it necessary and expedient.

All proposals falling under these exceptions must have secured valid NOC and university approvals prior to approaching BCI for final consideration.

Rule 10:- Transitional Measures

CLEs with only conditional approvals prior to the commencement of these Rules shall not commence operations during the Moratorium Period unless they meet the requirements of Rules of Legal Education. Such CLEs must await express clearance from BCI before admitting students or initiating academic activities.

Chapter VI Enforcement and Sanctions

Rule 11:- Consequences of Violation

Any breach of this Regulation shall attract strict enforcement measures, including

- (a) withdrawal of BCI approval or recognition,

- (b) derecognition of degrees conferred in violation of these Rules,
- (c) ineligibility of graduates from such institutions for enrollment under Section 24 of the Advocates Act, 1961, and
- (d) initiation of disciplinary, civil, and criminal proceedings against offending CLEs, universities, and relevant administrative authorities.

Chapter VII Review and Amendments

Rule 12:- Periodic Review

BCI shall undertake an annual review of the operation and impact of these Rules and may, based on evolving circumstances and policy considerations, extend, modify, or repeal them as necessary in the interests of improving and safeguarding legal education standards.

Chapter VIII Overriding Clause

Rule 13:- Supersession

This Regulation shall override and supersede any conflicting resolutions, circulars, notifications, or prior decisions issued by BCI or any other authority relating to legal education.

Chapter IX Policy Declaration

Rule 14:- Declaration of Intent

The BCI affirms that this Regulation is enacted to elevate and protect the standards of legal education, uphold the dignity of the legal profession, and secure public trust in the justice system, while ensuring inclusivity and compliance with constitutional mandates under Articles 15(4), 15(5), and 46 to promote social justice and advancement of weaker sections.

SRIMANTO SEN, Principal Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./310/2025-26]